

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर**

**(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)**

**पत्रावली संख्या : 63/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)**

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

**बनाम**

सुनील कुमार पुत्र रेवती प्रसाद सिंघल उम्र 40 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स पंकज मिष्ठान भण्डार, आबकारी थाने के सामने, स्टेशन रोड बयाना जिला भरतपुर निवासी लाल बाग, बयाना जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii), 26(2)(v)/51 एवं 58 एफएसएस एक्ट 2006

रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

**निर्णय**

**दिनांक : 25.01.2022**

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii), 26(2)(v)/51 एवं 58 एफएसएस

एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 15.12.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 25.01.2022 को उपस्थित। इस्तगासा को नकल देते हुये इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया

कि दिनांक 17.06.2021 को दोपहर बाद 3.00 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स पंकज मिष्ठान भण्डार, आबकारी थाने के सामने, स्टेशन रोड, बयाना का निरीक्षण किया गया। दौरान निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु एल्युमिनियम की एक परात में 15 किग्रा0 मावा रखा हुआ पाया गया। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/04/एक्ट/2021/29 दिनांक 23.06.2021 द्वारा उक्त मावा का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल की दुकान पर वक्त जांच रजिस्ट्रेशन/अनुज्ञापत्र नहीं होना पाया गया। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का मावा विक्रय करके एवं दुकान पर रजिस्ट्रेशन/अनुज्ञापत्र नहीं होने पर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii), 26(2)(v)/51 एवं 58 का उल्लंघन किया गया है।


आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स पंकज मिष्ठान भण्डार, आबकारी थाने के सामने, स्टेशन रोड, बयाना से मावा की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण भरतपुर की जांच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त मावा के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त मावा की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल के प्रति नरमरूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 17.06.2021 को दोपहर बाद 3.00 बजे दौरान निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय हेतु मावा करीब 15 किग्रा0 रखा हुआ पाया गया। खाद्य

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर  
केशव कुमार गोयल बनाम सुनील कुमार  
अपील संख्या 63/2021

विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/04/एक्ट/2021/29 दिनांक 23.06.2021 के द्वारा उक्त मावा का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार Milk Fat content of the finished product (on dry weight basis) का मानक Not less than 30.0% होना चाहिये था परन्तु इसका मानक 24.43% पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। वक्त निरीक्षण गैरसायल से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया तो गैरसायल ने खाद्य पदार्थ विक्रय रजिस्ट्रेशन नहीं होना जाहिर किया। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 एवं 58 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10000/-रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(बीना महावर)  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर